न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 40/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. कल्याण सहाय पुत्र श्री सूखा उर्फ रूडा, जाति मीणा, निवासी ग्राम बल्लूवास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज0)।

..... अपीलांट

बनाम

1. रामजीलाल उर्फ रमज्या पुत्र श्री सूखा उर्फ रूडा, जाति मीणा, निवासी ग्राम बल्लूवास, तहसील थानागाजी, जिला अलवर (राज0)।
2. हीरा देवी पत्नि श्री मातादीन जाति मीणा निवासी ग्राम गुवाडा किशोरी, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
3. रामादेवी पत्नि श्री साधूराम जाति मीणा निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....असल रेस्पोडेण्टस

4. श्रवण पुत्र श्री सूखा उर्फ रूडा जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
5. कन्हैया पुत्र श्री सूखा उर्फ रूडा जाति मीणा निवासी ग्राम बल्लूवास तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री श्योराम सिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–03.01.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 24.04.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी जिला अलवर के यहां वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 189 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 213 रकबा 1 बिस्वा, 214 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 253 रकबा 10 बिस्वा किता 4 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम गुवाडा कल्याण, तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। जिस विवादित आराजी के साबिक रिकार्ड सं. 2013 वादी एवं प्रतिवादी के पिता सूखा के रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादी के पिता का अर्सा करीब 44–45 वर्ष पहले देहान्त हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी व तरतीबी प्रतिवादी अपने पिता के जीवनकाल से व उसकी मृत्यु के बाद से ही विवादित आराजी पर बहिस्सा बराबर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे हैं। मौके पर आज भी विवादित आराजी पर वादी का 1/4 हिस्सा कब्जा है व मौके पर वादी अपने हिस्सानुसार काबिज काश्तकार खातेदार है। वादी के हिस्सा आराजी से प्रतिवादी का या अन्य किसी का कोई हक व संबंध कब्जा किसी प्रकार का नही है। प्रतिवादी लडाकू एवं चालाक किस्म का व्यक्ति है जो विवादित आराजी उपरोक्त जो कि साबिक कागजात माल में पिता सूखा के नाम दर्ज चली आती थी को अपने पिता के मरने के बाद उपरोक्त विवादित आराजी सालिम को बाला बाला राजस्व कर्मचारियों से मिलकर संवत 2028 बंदोबस्त के समय अपने नाम करा लिया और वादी व तरतीबी प्रतिवादी के नाम का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही कराया। जो इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादी के नाम दर्ज चला आ रहा है,वो इन्द्राज खिलाफ कानून व मौका है और वादी के हक हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है। वादी को उक्त इन्द्राज की जानकारी होने पर तहत अदालत में राजस्व वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा दिनांक 24.04.2017 को उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। जिस आदेश दिनांक 24.04.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16.05.2017 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि असल रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कोई जबाव प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया था तथा रेस्पो0 संख्या 1 का जबाव दरख्वास्त बंद हो चुका था। विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता के नाम खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी, जिसका अंकन संवत 2013 की जमाबंदी एवं उसके बाद की जमाबंदी में हो रहा है। सेटलमेंट 2028 से पूर्व की जमाबंदी में भी विवादित आराजी अपीलांट के पिता के नाम खातेदारी काश्तकारी बतौर दर्ज चली आ रही है। सेटलमेंट संवत 2028 में राजस्व कर्मचारियों को सेटलमेंट से पूर्व की एंट्री को रिपीट करना चाहिये था। अपीलांट के पिता का नाम हटाकर उसके स्थान पर केवल रेस्पो0 संख्या 1 का नाम सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना किसी अधिकार व दस्तावेज के मनमाने रूप में दर्ज किया है, जो कानूनन गलत है व निरस्त किये जाने योग्य है।गलत इन्द्राज को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, जिस वास्ते ही मिन अपीलांट द्वारा तहत अदालत के समक्ष पूर्ण वजुहात के साथ राजस्व वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, के बाबजूद तहत न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर अपीलांट के अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र

को खारिज फरमा दिया गया है, जो आदेश अपास्त व अभिखण्डित फरमाये जाने योग्य है। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकार हासिल नही है, के बावजूद सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 से मिलीभगत कर राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजीयात की बाबत अपीलांट के पिता के नाम के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 का नाम तन्हा रूप में दर्ज किया गया है, वो निरस्तनीय है। अपीलांट के पिता की मृत्यु पश्चात उनके विधिक समस्त वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था, जिन तथ्यों पर तहत अदालत द्वारा गौर नही किया गया। अधीनस्थ अदालत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी किये जाने के बाद बखूबी जानकारी होने के बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 द्वारा मिलीभगत करते हुये अपीलांट पर दबाव बनाने एवं नुकसान पहुंचाने एवं स्वयं को बेजा लाभ पहुंचाने की नियत से तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 03.07.2007 प्रभावी होने के दौरान नुमाईशी दस्तावेज बयनामा दिनांक 18.10.2013 को उपपंजीयक कार्यालय थानागाजी में तहरीर व तकमील करा लिया। उक्त नुमाईशी बयनामा दिनांक 18.10.2013 की पुश्त पर उपपंजीयक अधिकारी, थानागाजी द्वारा निम्न नोट अंकित किया गया है– "नोट धारा 39– प्रस्तुत दस्तावेज में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी का स्थगन आदेश है अतः न्यायालय के निर्णय तक बयनामा का इंतकाल नही खोला जावे।" अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी थानागाजी अलवर के आदेश दिनांक 24.04.2017 को निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया। उन्होंने अपने समर्थन में निम्न कानूनी नजीरें पेश की।

आर.आर.टी 2015(2) पेज 1214, आर.आर.डी 2014 पेज 217, आर.आर.टी 2014 (2) पेज 1311, आर.आर.डी 2016 पेज 513, आर.आर.डी 2013 पेज 149.

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 24.04.2017 का अवलोकन किया । प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होते हैं क्योंकि भूप्रबंध विभाग को पूर्व में हो रहे इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिये। भू प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम न्यायालय की निर्णय व डिक्री के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नही है।

सेटलमेंट से पूर्व विवादित आराजी संवत 2013 की जमाबंदी के अनुसार अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1, तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के पिता सूखा के नाम थी। सेटलमेंट के बाद उक्त विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 1 के नाम कर दी, जबकि भू–प्रबंध विभाग को केवल इन्द्राज रिपीट करने चाहिये थे, उसे इन्द्राज परिवर्तन का अधिकार नही था। बयनामा पर तहसीलदार ने सेक्सन 39 का नोट लगा रखा है जिसकी क्रेता व विक्रेता दोनों को जानकारी थी। अपीलांट व रेस्पो0 1 व रेस्पो0 4 व 5 एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं।कुटुम्ब की संपत्ति पर सभी का समान अधिकार व कब्जा माना जाता है।

डिक्री अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अलवर दीवानी दावा संख्या 34/199/2013 उनवान कल्याण सहाय वगैरहा बनाम रमज्या उर्फ रामजीलाल वगैरहा में निर्णय दिनांक 07.05.2018 में बयनामा शून्य घोषित किया गया है। अपीलांट व रेस्पो0 1 व रेस्पो0 4 व 5 एक

ही कुटुम्ब के सदस्य हैं।कुटुम्ब की संपत्ति पर सभी का समान अधिकार व कब्जा माना जाता है। जब बयनामा शून्य घोषित हो गया है तो स्वाभाविक रूप से कब्जा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व रेस्पो0 संख्या 4 व 5 का ही है। चूंकि हकों का निर्धारण मूल वाद में तय किया जाना है। इस प्रकार अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी थानागाजी के निर्णय दिनांक 24.04.2017 निरस्त किया जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना) 03.01.2020
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर